

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 721 सन 2021

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चिमनाराम पुत्र उदाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. सन्तलाल पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री चिमनाराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सावित्री पुत्री चिमनाराम पत्नी भागीरथ जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. शकुन्तला पुत्री चिमनाराम पत्नी दलीप जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. पवन पुत्र मुनी पुत्री चिमनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. मन्जू पत्नी आत्माराम पुत्री मुनी पुत्री चिमनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. पूनम पत्नी विकास पुत्री मुनी पुत्री चिमनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 141/138 की कुल 16.0860 हैक्, खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990 हैक् में से 12709/80495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी की बहने है एवं बहन मुनी के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता उदाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज उपस्थित नहीं ना ही राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुतोष है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही है।


पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 141/138 की कुल 16.0860 हैक्, खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990 हैक् में से 12709/80495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी की बहने है एवं बहन मुनी के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है

 अधिवक्ता

बोहर

इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 141/138 की कुल 16.0860हैक्, खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990हैक् में से 12709/80495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि उदाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1,5 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1,5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 141/138 की कुल 16.0860हैक्, खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990हैक् में से 12709/80495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 230/223 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की जाति राजपूत के स्थान पर छिम्पा संशोधन की जाति है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ़ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

कैम्प कोर्ट.....ननाउ....

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चिमनाराम पुत्र उदाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. सन्तलाल पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र चिमनाराम जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री चिमनाराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सावित्री पुत्री चिमनाराम पत्नी भागीरथ जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. शकुन्तला पुत्री चिमनाराम पत्नी दलीप जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. पवन पुत्र मुनी पुत्री चिमनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. मन्जू पत्नी आत्माराम पुत्री मुनी पुत्री चिमनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. पूनम पत्नी विकास पुत्री मुनी पुत्री चिमनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति छिम्पा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक- 04.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 141/138 की कुल 16.0860 हैक्, खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990 हैक् में से 12709/80495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 230/223 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की जाति राजपूत के स्थान पर छिम्पा संशोधन की जाति है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट....ननाउ